विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष एम.डी. बड़गैया

सदस्य निमिष परमार)

प्रकरण क्रमांक/26/2026

सस्थित दिनांक 07.07.2026

Shri Arun Bhadra, ...परिवादी

A.B. Media House,

Housing Board Commercial Complex,

2nd Floor, Sector - 08, Saddu, Raipur (C.G.) 492014

Mob.No. - 9425202319, 9301012619

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (पूर्व), ...उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

आदेश

(दिनांक 31/08/2026 को पारित)

अपने विद्युत कनेक्शन के अनुबंधित भार में कमी किए जाने के उसके आवेदन पर उत्तरवादी द्वारा कार्यवाही न किए जाने, बिना पूर्व सूचना के लाईन विच्छेदित किए जाने से असंतुष्ट होकर एवं अनुबंधित भार में कमी की स्वीकृति आवेदन दिनांक से ही प्रदान किए जाने के निवेदन के साथ परिवादी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. सेक्टर–8, हाउसिंग बोर्ड कालोनी सड्डू, रायपुर स्थित परिवादी के परिसर में, व्यावसायिक उपयोग हेतु, 49.0 कि.वा. भार का विद्युत कनेक्शन, जनधारा मीडिया हाउस के नाम पर, बी.पी.क्रमांक 1008963411 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया है ।

ख. परिवादी द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन के अनुबंधित भार को 49 कि.वा. से घटाकर 20 कि.वा. किए जाने का आवेदन दिनांक 30.03.2026 को उत्तरवादी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है ।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी द्वारा अपने परिसर में, अधिक विद्युत भार की आवश्यकता नहीं होने के आधार पर, अपने विद्युत कनेक्शन के अनुबंधित भार को 49 कि.वा. से घटाकर 20 कि.वा. किए जाने का आवेदन उत्तरवादी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था लेकिन उत्तरवादी द्वारा उसके उक्त आवेदन पर कार्यवाही न करते हुए बिना किसी पूर्व सूचना के उसके विद्युत

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया गया जिसे बकाया राशि के भुगतान पश्चात ही जोड़ा गया । उत्तरवादी की उक्त कार्यवाही को अनुचित बताते हुए परिवादी द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन के अनुबंधित भार को आवेदन तिथि 30.03.2026 से ही कम किए जाने एवं तद्नुसार देयक में संशोधन किए जाने का निवेदन किया गया है ।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा पत्र क्रमांक 1767 दिनांक 10.07.2026 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी द्वारा अपने परिसर स्थित विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1008963411 के अनुबंधित भार में कमी (49 कि.वा. से 20 कि.वा.) करने का आवेदन दिनांक 30.03.2026 को प्रस्तुत किया गया था लेकिन उक्त परिसर में विद्युत देयक की राशि बकाया होने के कारण सप्लाई कोड की कंडिका 4.19 के अनुसार परिवादी के आवेदन पर कार्यवाही नहीं की गयी । दिनांक 30.06.2026 को बकाया राशि का पूर्ण भुगतान परिवादी द्वारा कर दिए जाने पर उसके विद्युत कनेक्शन के अनुबंधित भार को कम किए जाने का प्रकरण स्वीकृत कर दिया गया है ।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं –

(i) क्या बिना पूर्व सूचना के, उसके विद्युत कनेक्शन को, बकाया राशि होने के आधार पर उत्तरवादी द्वारा विच्छेदित किए जाने का परिवादी का दावा सही है ।

(ii) क्या परिवादी के परिसर में विद्युत देयक की राशि बकाया होने के आधार पर परिवादी के, भार कम करने के आवेदन को उत्तरवादी द्वारा लंबित रखा जाना सप्लाई कोड के प्रावधानों के अनुसार है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

6. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उत्तरवादी द्वारा एक तरफ तो विद्युत कनेक्शन के भार में कमी किए जाने के उसके आवेदन पर कार्यवाही नहीं की गयी एवं दूसरी ओर उसके विद्युत कनेक्शन को बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक विच्छेदित कर दिया गया जिससे परिसर में संपादित, न्यूज चैनल जैसे संवेदनशील कार्य में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न हुआ । परिवादी के अनुसार उत्तरवादी की यह कार्यवाही अनुचित एवं नियम विरूद्ध है । इस संबंध में उत्तरवादी द्वारा कथन किया गया कि परिवादी के विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध विद्युत देयक की राशि बकाया होने के आधार पर पूर्व सूचना देते हुए लाईन विच्छेदन की कार्यवाही की गयी एवं बकाया राशि का पूर्ण भुगतान होने के पश्चात विद्युत सप्लाई पुनः संयोजित कर दी गयी जो कि नियमानुसार है ।

भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की कंडिका 56(1) एवं सप्लाई कोड की कंडिका 10.17 के अनुसार किसी बकायादार उपभोक्ता की विद्युत लाईन विच्छेदित किए जाने के पूर्व उसे इस बाबत नोटिस जारी करते हुए सूचित किया जाना आवश्यक है ।

परिवादी को लाईन विच्छेदन के पूर्व नोटिस प्रेषित किए जाने के तथ्य की पुष्टि के लिए उत्तरवादी द्वारा, परिवादी को प्रेषित पत्र दिनांक 10.02.2026 की प्रतिलिपि फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें परिवादी को 15 दिवस के भीतर बकाया राशि के भुगतान हेतु निर्देशित किया गया है एवं बकाया राशि का भुगतान न होने पर लाईन विच्छेदित किया जाना लेख किया गया है । उक्त विचारणीय प्रश्न का यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवादी के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित करने से पूर्व उत्तरवादी द्वारा उसे पत्र दिनांक 10.02.2026 के माध्यम से पूर्व सूचना प्रदान की गयी है अतः बिना सूचना के उसके विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित किए जाने का परिवादी का दावा सही नहीं है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक (ii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

7. परिवादी के अनुसार विद्युत कनेक्शन का भार कम किए जाने संबंधी उसके आवदेन पर कार्यवाही न करते हुए उत्तरवादी द्वारा नियमों में उल्लिखित समयसीमा का उल्लंघन किया गया है । उत्तरवादी द्वारा इस संबंध में कथन किया गया कि परिवादी को प्रेषित माह फरवरी 2026 की देयक राशि रू. 59960.00 के विरूद्ध परिवादी द्वारा बिना विभाग की अनुमति के आंशिक भुगतान करते हुए राशि 30000.00 जमा की गयी एवं राशि रू. 29960.00 बकाया रही । प्रश्नाधीन विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध इसी राशि के बकाया होने के आधार पर परिवादी के, अपने विद्युत कनेक्शन का भार कम करने के आवेदन पर कार्यवाही नहीं की गयी जो कि सप्लाई कोड 2011 की कंडिका 4.19 के अनुसार है ।

सप्लाई कोड की कंडिका 4.19 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह कंडिका किसी व्यक्ति या परिसर के विरूद्ध पूर्व से बकाया राशि होने की स्थिति में उस व्यक्ति को या उस परिसर में नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने का निषेध करती है । फोरम के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण नवीन विद्युत कनेक्शन का न होकर अनुबंधित भार में कमी किए जाने का प्रकरण है जिस पर कंडिका 4.19 के प्रावधानों को लागू किया जाना अनुचित होगा । सप्लाई कोड की कंडिका 7.9 से 7.14 तक किसी विद्युत कनेक्शन के अनुबंधित भार में कमी किए जाने की प्रक्रिया बताई गयी है जिसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि उपभोक्ता के विरूद्ध बकाया राशि होने की स्थिति में, विद्युत कनेक्शन के अनुबंधित भार में कमी के लिए प्रस्तुत उसके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

फोरम उक्त विचारणीय प्रश्न का यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रश्नाधीन विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध बकाया राशि शेष होने के आधार पर परिवादी के आवेदन को लंबित रखने की उत्तरवादी की कार्यवाही सप्लाई कोड के प्रावधानों के अनुसार नहीं है ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

8. छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम 2024 में दर्ज अनुसूची 1 एवं 2 का अनुलग्नक के अनुसार –

सेवा का स्वरूप	निष्पादन के मानक अंतर्गत सेवा प्रदान करने के लिए अधिकतम समय सीमा
(5) भार में कमी	आगामी बिलिंग माह के प्रथम दिवस से प्रभावशील

परिवादी द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन के अनुबंधित भार में कमी किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद उत्तरवादी द्वारा आगामी बिलिंग माह (जो कि इस प्रकरण में अप्रेल 2026 है) की प्रथम तिथि से अनुबंधित को भार कम करते हुए तद्नुसार बिलिंग की जानी थी जो कि नहीं की गयी ।

9. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत हम यह पाते है कि परिवादी अपना मामला साबित करने में आंशिक रूप से सफल रहा है । अस्तु प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है –

फोरम, उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि परिवादी द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन का भार कम किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि के बाद के बिलिंग माह, अप्रैल 2026 की प्रथम तिथि से अनुबंधित भार का कम होना प्रभावशील मानते हुए परिवादी के देयकों को तद्नुसार संशोधित किया जाना सुनिश्चित करे । एतद् कृत कार्यवाही के उपरांत आदेश का पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट 30 दिवस के अंदर फोरम कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करे ।

10. उत्तरवादी पालन प्रतिवेदन 30 दिवसों के अन्दर देवें ।

11. यदि परिवादी/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

आदेश पारित किया गया

(निमिष कुमार)
सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम सयपुर (शहर)

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष